

रजिस्टर्ड एंठ डीठ

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो

देशीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल- ro.ajmer@ibm.gov.in

No RAJ/BMR-18/Selenite-11

प्रेषित M/S RSMM Ltd.,
2, Gandhi Nagar Scheme,
Lalgarh, Bikaner- 334001



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines

Office of the Regional Controller of Mines.
Makhapura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

Date: 17/2/2017

विषय: राजस्थान राज्य के Barmer जिले में स्थित आपकी Thob_1 Salenite (ML No 10/92)
खान १२६.७७ हैक्टे मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का
उल्लंघन (खान कोड संख्या 29RAJ04013)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.12.2016 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।
नियम उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- 23E(2) The annual compliance report (2015-16) of the work in mine actually carried out vis – a – vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 July 2016 to the Regional Controller has not been submitted till date.
- 23 F The Financial assurance has not been submitted to the Regional Controller of Mines.
- 33(6) The Fines of Screening not secured by retaining wall or other means.
- 37 The water sprinkling on haul roads is not being carried out for controlling air pollution within permissible limits.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अंतर्गत (क) खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच.सी.शर्मा)

परि सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता, Barmer को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एच.सी.शर्मा

28/2/17

परि सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

७८